भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 131
उत्तर देने की तारीख 22.07.2024

अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

131. श्री के. सी. वेणुगोपाल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनुभवी कलाकारों को वितरित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) : संस्कृति मंत्रालय "वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम" नामक स्कीम संचालित करता है, जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले उन वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय 72000/- रु. से अधिक नहीं है। चयनित कलाकारों को 6000/- रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत उन वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वतजन की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में कलाओं, साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या अभी भी योगदान दे रहे हैं, परन्तु वृद्धावस्था के कारण नियमित आय जुटाने में असमर्थ हैं।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत लाभान्वित वयोवृद्ध कलाकारों की राज्य–वार संख्या अनुलग्नक पर संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 131 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष -2019-20	वित्तीय वर्ष - 2020-21	वित्तीय वर्ष - 2021-22	वित्तीय वर्ष - 2022-23	वित्तीय वर्ष - 2023-24
		संवितरित राशि	संवितरित राशि	संवितरित राशि	संवितरित राशि	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	22.16	5.1	72.29	84.66	153.30
2	असम	1.92	0.96	0.48	1.57	2.41
3	बिहार	-	-	-	-	15.47
4	दिल्ली	-	-	-	-	5.87
5	हरियाणा	0.04	-	0.93	0.56	3.69
7	झारखंड	1.11	2.28	3.00	3.59	3.88
8	कर्नाटक	30.29	29.97	59.55	64.32	341.98
9	केरल	13.34	8.18	24.49	25.3	64.21
10	मध्य प्रदेश	5.41	2.44	5.04	3.86	6.95
11	महाराष्ट्र	85.86	106.61	190.49	273.49	795.97
12	मणिपुर	3.08	3.36	7.84	0.6	14.7
13	नागालैंड	0.04	0.48	0.92	0.12	3.28
14	ओडिशा	84.04	119.46	276.95	306.77	1063.40
16	राजस्थान	0.87	0.07	1.23	0.71	1.36
17	तमिलनाडु	9.92	0.87	15.49	14.6	46.96
18	तेलंगाना	86.18	53.2	217.29	268.16	274.94
19	त्रिपुरा	0.06	0.24	0.92	0.12	-
20	उत्तर प्रदेश	3.2	5.12	13.08	15.46	67.24
21	उत्तराखंड	-	-	-	-	2.43
22	पश्चिम बंगाल	8.26	5.09	12.31	11.71	28.53
	कुल	**355.82**	**343.46**	**902.30**	**1075.6**	**2896.57**
	एलआईसी*	1461.78	527.85	639.87	783.58	
	कुल योग	**1817.6**	**871.31**	**1542.17**	**1859.18**	**2896.57**

* 2022-23 तक एलआईसी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से संबंधित राज्य-वार डाटा उपलब्ध नहीं है।

*****